INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV 20/25

IN-UP41006227952704X

ACC NAME-Pahlad Singh ACC Code-UP14145904
Address-Bairage Ka Purwa Town Khaga Mob-8009874802
License No.-12 Tehsil Khaga District-Fatehpur

Certificate No.	:	IN-UP41006227952704X
Certificate Issued Date	:	16-May-2025 11:51 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14145904/ KHAGA/ UP-FTP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1414590479563174923738X
Purchased by	:	ABHAY PRATAP SINGH SON OF LATE YUGRAJ SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ABHAY PRATAP SINGH SON OF LATE YUGRAJ SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ABHAY PRATAP SINGH SON OF LATE YUGRAJ SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

6

E-Stamp Locked

Please write or type below this line

अभय प्रताप सिंह

PF 0000639084

Statutory Alert:
The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

SHCIL

संशोधित न्यास–विलेख

आवेदन संख्या – 20250087900

स्टाम्प शुल्क : 1000/– मात्र

(अन्तर्गत धारा–5 पठित, धारा–6 सपठित, धारा–3 इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882)

मैं, अभय प्रताप सिंह (हिन्दू धर्म अनुयायी) पुत्र स्व0 युगराज सिंह, आयु 52 वर्ष, निवासी मोहल्ला–नई बाजार, पोस्ट व तहसील–खागा, जिला–फतेहपुर, जिसको इस प्रलेख में संस्थापक न्यासकर्ता कहा गया है, पूर्व में विलेख के द्वारा एक न्यास बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान के नाम से दिनांक 19.11.2004 बही सं0 04, पुस्तक खण्ड सं0 02, पृष्ठ सं0 361/402द0न018 के द्वारा उप–निबंधक कार्यालय, तहसील–खागा, जिला–फतेहपुर में पंजीयन कराया गया था। न्यास विलेख में संशोधन कर उपनिबंधक कार्यालय तहसील–खागा, जिला–फतेहपुर में बही सं0 04, पुस्तक खण्ड सं0 05, पृष्ठ सं0 385–432 क्रमांक 01 के द्वारा दिनांक 22.02.2011 एवं बही सं0 04, पुस्तक खण्ड सं0 09, पृष्ठ सं0 385–436 क्रमांक 08 के द्वारा दिनांक 15.04.2017 को कराया गया था। पंजीकृत संशोधित न्यास विलेख में उद्देश्य बढ़ाये जाने के कारण पुनः संशोधित विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो '**बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान**' का संशोधित विलेख निम्न प्रकार होगा।

विदित हो कि मैने एक न्यास प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु गठित किया है। इस न्यास के माध्यम से चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यवसायिक शिक्षा, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, आवासीय विद्यालय, चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जनसेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोगों के हित में कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यों का संपादन करने के लिए उपयोग किया जायेगा। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें की गईं हैं :–

1. यह कि न्यास का गठन अंकन रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) चेक सं0 –212174, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– फतेहपुर से आरम्भ किया गया है।
2. यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय–चन्द्रप्रभा हाउस, नई बाजार, खागा, फतेहपुर (उ0प्र0) 212655 में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश एवं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेंगी और उन कार्यालयों के पते पर उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3. अभय प्रताप सिंह के त्याग पत्र अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हुए संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्याख्या एवं उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप, मेरे (अभय प्रताप सिंह) के उत्तराधिकारी, मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेंगे।
4. यह कि मैं अभय प्रताप सिंह अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूँगा तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का प्रबन्ध निदेशक/सचिव/प्रबन्धक भी कहा जाऊंगा। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं, निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करता हूँ। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित न्यासियों से मैने न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा। भविष्य में भी, संस्थापक मुख्य न्यासी के रूप में, मेरे जीवन पर्यन्त, मेरे द्वारा, स्व विवेक से, अन्य लोगों को भी न्यासमण्डल के न्यासी के रूप में नामित किये जाने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिये जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यासमण्डल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

<u>न्यास मण्डल के न्यासियों का विवरणः—</u>

कम	नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	पता	सक्रियता व्यवसाय	धर्म	फोटो
01	अभय प्रताप सिंह	मुख्यन्यासी	स्व0 युगराज सिंह	नई बाजार, खागा, फतेहपुर	समाजसेवा	हिन्दू	
02	श्रीमती निवेदिता सिंह	न्यासी	पत्नी श्री अभय प्रताप सिंह	नई बाजार, खागा, फतेहपुर	गृहणी	हिन्दू	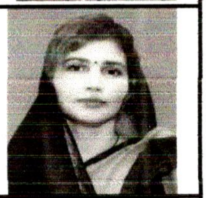
03	श्री यश ठाकुर	न्यासी	अभय प्रताप सिंह	4/70 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	व्यापार	हिन्दू	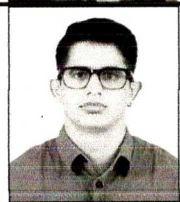
04	श्री रामसागर	न्यासी	स्व0 जानकी प्रसाद	नई बाजार, खागा, फतेहपुर	व्यापार	हिन्दू	

05	श्री लाल सिंह	न्यासी	श्री जागेश्वर सिंह	सर्राफा बाजार, खागा, फतेहपुर	व्यापार	हिन्दू	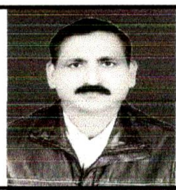
06	श्री संजय कुमार	न्यासी	श्री लक्ष्मण प्रसाद	नई बाजार, खागा, फतेहपुर	नौकरी	हिन्दू	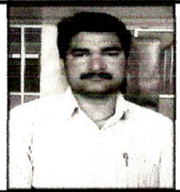
07	श्रीमती मीनू सिंह	न्यासी	श्री योगेश सिंह	4/70 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	गृहणी	हिन्दू	
08	श्री शिव सिंह	न्यासी	श्री दानराज सिंह	17/23एफ काल्विन रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज	नौकरी	हिन्दू	
09	श्री योगेश सिंह	न्यासी	श्री सुरेशचन्द्र सिंह	4/70 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	नौकरी	हिन्दू	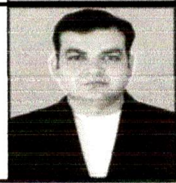
10	राज ठाकुर	न्यासी	श्री अभय प्रताप सिंह	4/70 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	व्यापार	हिन्दू	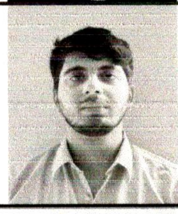
11	श्वेता सिंह	न्यासी	डा. विजितेन्द्र सिंह	फ्लैट बी904 शिवा अपार्टमेन्ट मोती बिहार सोसाइटी, सर्वोदय नगर, कानपुर नगर	ग्रहणी	हिन्दू	
12	खुशी ठाकुर	न्यासी	श्री अभय प्रताप सिंह	4/70 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	सामुदायिक सेवा	हिन्दू	

5. न्यास के उद्देश्य

न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. प्रस्तुत प्रलेख के अन्तर्गत गठित किये जा रहे इस न्यास का मुख्य उद्देश्य सर्व जन समुदाय वर्ग का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, कलात्मक, आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास करना है। न्यास के अन्तर्गत समाज के उत्थान, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता की दृष्टि से संपादित किये जाने वाले

समस्त कार्यक्रमों को तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं को जनहित में बिना लाभ के संचालित किया जायेगा।

2. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हेतु प्रचार–प्रसार करना एवं सामाजिक विषमताओं, रूढ़िवादिताओं को समाप्त करना तथा आपस में भाईचारे एवं एकता की भावना पैदा करना जिससे मानव में समानता स्थापित हो।
3. भारतवर्ष के समस्त महापुरूषों की जयन्तियां समारोह का आयोजन करना एवं उनके सिद्धान्तों व आदर्शों का जन सामान्य में प्रचार–प्रसार करना तथा समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का निःशुल्क आयोजन करना।
4. समिति के माध्यम से राजकीय अल्पसंख्यक विभागों तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य विकास मंत्रालय, नारी कला केन्द द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम्य विकास योजना एवं बाल विकास परियोजनाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करना तथा महिला समूहों का गठन करना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश केन्द्रीय एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नाबार्ड, यूनीसेफ, सिफ्सा, सूडा, डूडा, हेल्पेज इण्डिया, एपेक्स इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना व उनका प्रचार–प्रसार करना।
5. निर्धन, निराश्रित, पिछड़े, दृष्टिहीन, मूक बधिर, कुष्ठ, विकलांगों, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराना।
6. स्वरोजगार अपनाने हेतु महिलाओं/पुरूषों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ललित कला, शिल्प कला, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निःशुल्क पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना करना।
7. समाज के निर्बल व अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कराकर रोजगारपरक बनाना।
8. जन सामान्य के नैतिक मूल्यों में सुधार हेतु छुआछूत, जातिवाद, बालश्रम, बाल विवाह प्रथा, महिला उत्पीड़न, भिक्षावृत्ति, युवकों में धूम्रपान, मदिरापान आदि के निवारण हेतु जागरूकता शिविरों, सेमिनारों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना व गरीब वयस्क युवक, युवतियों, हेतु दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना।
9. जन सामान्य के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, टीकाकरण, प्रतिरक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, पल्स पोलियों शिविर को निःशुल्क आयोजित करवाना व विश्व एड्स दिवस एवं विभिन्न प्रकार के वेलफेयर कार्यक्रमों को समय–समय पर करवाते रहना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे–शिशु कल्याण, मातृत्व कल्याण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना एवं विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों जैसे–एच0आई0वी0, एड्स, कैंसर, टी0बी0, हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस–बी,

मलेरिया, रक्तचाप, लेप्रेसी, मधुमेह, कुष्ठ, नेत्र विकार, पीलिया, ल्यूकेरिया, आदि की पहचान व रोकथाम हेतु निःशुल्क नर्सिंग होम, अस्पताल, जागरूकता शिविरों का आयोजन करना एवं भारतीय उपचार पद्धति, तिब्बतीय योग, स्पर्श उपचार तथा अन्य सभी प्रकार की उपचार पद्धतियों का निःशुल्क प्रचार–प्रसार करना और सम्बन्धित केन्दों की निःशुल्क स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना तथा जन हितार्थ निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, भिक्षुक गृह, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए शार्ट स्टे होम आदि की स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात करना।

10. शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों के विकास, सुधार व सफाई हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड, सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा मलिन बस्तियों में शौचालय, सड़क, नाली, हैण्डपम्प इत्यादि के कियान्वयन में सहयोग करना तथा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, पार्कों उद्यानों के विकास, पौधशाला, जल संचय, उद्यान संरक्षण, स्वजल धारा, स्वच्छ पेयजल, ग्राम सफाई, जल प्रदूषण नियंत्रण, पुष्टाहार, मलिन बस्ती विकास, हरियाली कार्यक्रम, बागवानी विकास, पशु पक्षी संरक्षण, स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार कर कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
11. शिक्षा के प्रचार–प्रसार, प्रबंधन व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों/तकनीकी बोर्ड एवं शिक्षा विभाग की अनुमति के पश्चात विद्यालय, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में स्नातक/परास्नातक/डिप्लोमा महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, विकलांग विद्यालय, औद्योगिक विद्यालय, कृषि कालेज, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिग कालेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, फार्मेसी शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा एन0सी0टी0ई0, नई दिल्ली के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा आदि पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, सम्बन्धित विभाग एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले तत्सम्बन्धी शासनादेशों का पालन करना तथा गरीब, मेधावी गरीब व अनाथ छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सभी स्तर की शिक्षा भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराना।
12. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, अनुदान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना, प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयां गठित करना एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना।
13. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त करना तथा कार्यक्रमों के आयोजनों तथा संस्थाओं की स्थापना के लिए न्यास के सम्मानित सदस्यों से चन्दा लेना और उसका ब्यौरा रखना।
14. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।
15. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

16. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्दों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
17. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पत्तियों की व्यवस्था करना तथा न्यास द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु सरकारी, अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी विभागों तथा केन्द्र अथवा/एवं राज्य सरकार, चेरिटेबुल संस्थाओं/न्यासों, विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थाओं, भारतीय उद्योग और देश एवं विदेश में रहने वाले व्यक्तियों तथा अन्य निजी सार्वजनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण, सहयोग, दान तथा अनुदान प्राप्त करना तथा उसका सुसंगत कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के संचालन एवं न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।
18. भारतीय संविधान की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्यालय, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलकर सभी समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराना।
19. भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) में स्नातक व परास्नातक स्तर पर चिकित्सा महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान की स्थापना, विस्तार व संचालन करना।
20. प्राइवेट विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑटोनामस कालेज, डेन्टल कालेज, अनुसंधान केन्द्र व विकलांग विद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

6. **न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था**

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यासमण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारू प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन किया जायेगा। गठित होने वाली प्रत्येक उप–समिति/समिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे प्रबन्ध निदेशक/सचिव के पदनाम से जाना जायेगा। इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उप–समिति/समिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार प्रबन्धक/सचिव/प्रबन्ध निदेशक में निहित होंगे।
2. न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार अर्थात हर छठे माह में आवश्यक रूप से सम्पन्न की जायेगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह भी बैठक बुलाई जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक हेतु न्यासमण्डल के सदस्यों को सूचना देने का माध्यम संदेश पंजिका/पत्र/ई–मेल/मोबाइल फोन होगा। सामान्यतः बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से 07 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जायेगी किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घंटे के अन्दर सूचना देकर कभी भी बैठक आहुत की जा सकेगी।
3. बैठक का कोरम न्यासमण्डल के 50 प्रतिशत् न्यासी के अतिरिक्त मुख्य न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जायेगा। सामान्यतः न्यासमण्डल के बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी अथवा मुख्य न्यासी (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा की

अमरप्रताप सिंह

जायेगी। मुख्य न्यासी द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित बैठक की समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उत्तराधिकार अनुक्रम में न्यासमण्डल के सदस्य द्वारा की जायेगी। संस्थापक मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र व अन्य स्थिति में नियमानुसार वैधानिक उत्तराधिकारी न्यासमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4. न्यासमण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जायेगें। न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यासमण्डल के निर्णय से न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम/संस्था में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी के निलंबन एवं सेवा समाप्ति का अधिकार भी न्यासमण्डल को होगा।
5. न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावॉछित समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत्सम्बन्धी नियामक संस्था, शासन, प्राधिकरण के अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उप नियमों का निर्माण करके किया जायेगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जायेगा। न्यासमण्डल का विधिवत् गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जायेगा तथा उसे उक्त कार्यक्रम/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जायेगा। न्यासमण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

7. <u>न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था :–</u>

न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराये गये रू0 50,000 (पचास हजार रूपये) के अतिरिक्त धन, कोष, दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :–

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जायेगा।

2- न्यासमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ायी जा सकेगी। न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक/डाकघर में ही खोला जायेगा। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को स्वयं एकल रूप से अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान

अमरनाथ सिंह

आदि के सम्बन्ध में चल–अचल सम्पत्ति, बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गयी औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जायेगी।

3- किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये चंदे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल–अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासमण्डल को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों एवं वंशजों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा उसका स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा।

4- न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तदायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टेड एकाउंटेण्ट अथवा सम्परीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति पर सम्परीक्षित कराया जायेगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति के पूर्व न्यासमण्डल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5- विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किये जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6- मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धिम कार्यक्रमों/संस्थाओं/प्रबन्ध समितियों के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते इत्यादि खोलने एवं बन्द करने का अधिकार मुख्य न्यासी को न्यासमण्डल की सहमति से होगा।

7- इस न्यास के अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था, आय, व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यासमण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

8. <u>न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था</u> :–

न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

1- न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

2- न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होंगे। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकेगें।

3- न्यास व न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय करने अथवा विकसित करने, चल/अचल सम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी न्यासमण्डल की अनुमति से कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर

उमानाथ सिंह

जनहित के कार्य हेतु देने अथवा निर्धन एवं दुर्बल वर्ग के व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय मुख्य न्यासी के सलाह से न्यास मण्डल अपने बहुमत से करेगा।

4- न्यास व न्यास द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्था की किसी भी अचल सम्पत्ति को सामान्यतः बेचने अथवा किसी व्यक्ति को सर्वाधिकार के साथ हस्तान्तरित/अन्तरित करने का अधिकार किसी भी न्यासी/व्यक्ति को नहीं होगा। यदि न्यासमण्डल किसी सम्पत्ति को निष्प्रायोज्य होने की स्थिति में, न्यास के हित में, बेचे जाने को आवश्यक एवं अपरिहार्य समझता है **तो मुख्य न्यासी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु अधिकृत कर सकता है। न्यास मण्डल को मुख्य न्यासी के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यासी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु अधिकृत करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यासी का पद रिक्त होने की दशा में यह आवश्यक होगा की उपरोक्त कार्यवाही करने से पूर्व मुख्य न्यासी का चयन उत्तराधिकार के क्रम में विधिवत कर लिया जाये।**

5- न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध न्यास मण्डल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रथमतः मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा मुख्य न्यासी द्वारा उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अन्तिम होगा।

6- न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्ध समिति के किन्ही कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर विधिक रूप से स्थापित दूसरी प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये।

7- न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरूद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

8- न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं दिन प्रति दिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर/संविदा पर/मानद रूप में करेगा तथा न्यास मण्डल, न्यास के हित संवर्द्धन के लिए वह सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

9. न्यास के अभिलेख

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही

रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा–रजिस्टर, न्यास की सदस्यता रजिस्टर, सदस्यता रसीद, कैश बुक व बैंक पास बुक इत्यादि रखा जायेगा।

न्यास द्वारा संचालित/स्थापित संस्थायें रानी चन्द्र प्रभा महाविद्यालय, खागा, फतेहपुर, रानी चन्द्र प्रभा फार्मेसी कालेज, खागा, फतेहपुर, अभय प्रताप सिंह इण्टरनेशनल स्कूल, खागा, फतेहपुर, अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज, अझुवा, कौशाम्बी, अभय प्रताप सिंह फार्मेसी कालेज, अझुवा, कौशाम्बी, ठा0 जयनारायण मेमोरियल डिग्री कालेज, हथगाम, फतेहपुर लाल सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हथगाम, फतेहपुर, लाल सिंह इण्टरनेशनल स्कूल, हथगाम, फतेहपुर, आशा सिंह गर्ल्स इण्टर कालेज, खागा, फतेहपुर, खुशी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सौरा, फतेहपुर, अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर अभय प्रताप सिंह फार्मेसी कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर, यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यशराज फार्मेसी कालेज, यशराज लॉ कालेज, बाबू युगराज फार्मेसी कालेज, बाबू युगराज सिंह कालेज ऑफ मेडिकल एण्ड सांइस, बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक कालेज, बाबू युगराज सिंह चैरिटबल हस्पिटल, बाघामऊ, लखनऊ एवं भविष्य में न्यास द्वारा स्थापित, संचालित एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप में होगी :–

10. <u>ट्रस्ट की नियमावली</u>

क. सदस्यता : किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से स्वतः समाप्त हो जायेगी –

(अ) – सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
(ब) – पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर
(स) – किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
(द) – संस्था के नियमों का पालन न करने पर
(य) – संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर
(र) – लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
(ल) – त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर
(व) – अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर

ख. संस्था के अंग : **संस्था के निम्नलिखित दो अंग होंगे –**

(अ) – साधारण सभा
(ब) – प्रबन्ध समिति

11. साधारण सभा :

(अ) गठन : न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे। न्यास का मुख्य न्यासी साधारण सभा का अध्यक्ष होगा।

(ब) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

(स) गणपूर्ति : साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत् के अतिरिक्त मुख्य न्यासी की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहुत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा तथा समयावधि का भी प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत् ही रहेंगे।

(द) विशेष वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा के विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जायेगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी

(य) साधारण सभा

(1). प्रबन्ध समिति का चुनाव करना
(2). वार्षिक आय–व्यय बजट पारित करना
(3). संस्था की उन्नति के लिए नीति निर्धारित करना
(4). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना
(5). संस्था को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक अधिकार होंगे।
(6). संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन बहुमत से पारित करना।

12. प्रबन्ध समिति :

(क) गठन :

1. प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों की संख्या 07 होगी।
2. प्रबन्ध समिति का गठन न्यासमण्डल के सदस्यों (साधारण सभा) की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक ऑडीटर, एक प्रबन्ध निदेशक/सचिव, एक कोषाध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे परन्तु प्रबन्ध निदेशक/सचिव पद हेतु सचिव पद का चयन साधारण सभा द्वारा नहीं किया जायेगा क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी ही न्यास द्वारा न्यास के अन्तर्गत संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्ध समिति का सचिव होगा। यह शर्त मुख्य न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगा।
3. प्रबन्ध समिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर प्राधानाचार्य, दो शिक्षक व एक शिक्षणेत्तर कर्मचारी होगें।, इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी।
4. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगा परन्तु अगली प्रबन्धकारिणी समिति के गठन तक पिछली प्रबन्धकारिणी समिति प्रभावी रहेगा।

(ख) बैठकें : प्रबन्ध समिति की बैठक सामान्तया वर्ष में दो बार होगी किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्धकारिणी समिति इनके अतिरिक्त भी बैठकें कर सकता है।

(ग) सूचना अवधि : प्रबन्ध समिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व व आकस्मिक

बैठक 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर/डाक द्वारा/ दूरभाष द्वारा दिया जा सकता है। दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ–साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।

(घ) गणपूर्ति : प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्यों से अधिक की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जायेगा। स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(च) रिक्त स्थान की पूर्ति : प्रबन्ध समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर न्यास मण्डल (साधारण सभा) के सदस्यों के बहुमत के द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

13. प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य –

(क). संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

(ख). संस्था/शिक्षण संस्थान का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(ग). आवश्यकतानुसार संस्था/शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय करने व उस पर भवन निर्माण कराना एवं संस्था/शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यकतानुसार क्रय–विक्रय करना एवं पट्टे पर देना।

(घ). संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना व सम्बन्धित वॉछित अभिलेख को एकत्र करना व प्रदान करना।

(ङ). राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिकता सद्भाव का आयोजन करना, समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय, आयोग एवं विभागों, अल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति–जनजाति, वित्त निगम, उत्तर प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, श्रम मंत्रालय, वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता, ऋण व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को बंधक/रेहन रखना।

(च). संस्था/शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व अवनति करना।

14. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य

(अ). अध्यक्ष –

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
3. सदस्यों के नाम एवं कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना एवं सुनाना।
4. बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देना।

(ब) सचिव

1. संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्यपालक होगा।
2. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना।
3. समान् मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
5. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति व बहाली करना।
7. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व वाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
8. संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
9. प्रबन्ध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
11. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्त करना।
12. संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रक्षा करना एवं उस पर नियंत्रण रखना।
13. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।
14. राजकीय सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
15. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।
16. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना।
17. संस्था/शिक्षण संस्थान में संचालित कार्यक्रम का समय–समय पर निरीक्षण करना और उसका कार्यक्रम विवरण उपस्थित करना।
18. संस्था/शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना।

(स) कोषाध्यक्ष

1. सदस्यों से चन्दा व अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीदें देना व प्राप्त धन को किसी निकटस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना।
2. सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों व वाउचरों का भुगतान करना।
3. संस्था/शिक्षण संस्थान के आय–व्यय का लेखाजोखा रखना तथा उसे सचिव से अनुमोदित कराकर न्यास मण्डल (साधारण सभा) में प्रस्तुत करना।

आवेदन सं०: 202500879004584

न्यास पत्र

बही स०: 4 | **रजिस्ट्रेशन स०:** 28 | **वर्ष:** 2025

प्रतिफल- 50000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान द्वारा
अभय प्रताप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री युगराज सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नई बाजार खागा परगना हथगाम तहसील खागा जिला फतेहपुर

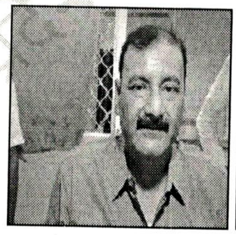

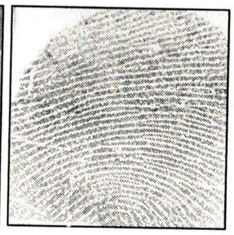

श्री, बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान द्वारा अभय प्रताप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/05/2025 एवं
01:33:16 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उर्वरा शक्ति .
उप निबंधक :खागा
फतेहपुर
16/05/2025

राहुल कुमार बौद्ध
निबंधक लिपिक
16/05/2025

प्रिंट करें

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

4. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रति वर्ष का आडिट कराकर निरीक्षण हेतु सचिव को प्रस्तुत करना।

(द) ऑडीटर

संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित विभिन्न पत्रजात व पत्रावलियों को प्राप्त करना व निस्तारण हेतु सचिव द्वारा अनुमोदन पश्चात सम्बन्धित विभाग को निर्गत करना।

15. संस्था/शिक्षण संस्थान के कोष

संस्था/शिक्षण संस्थान के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर अथवा एफ0डी0 के रूप में जमा किया जायेगा जिसका संचालन सचिव अथवा सचिव के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जायेगा।

न्यास द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान के बन्द होने अथवा प्रबन्ध समिति के किन्ही कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा। भंग प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर दूसरी वैध प्रबन्ध समिति का अनुमोदन न हो जाये।

लिहाजा संशोधित न्यास विलेख पूर्ण होशो–हवास बिना किसी जब्र व दबाव के अपनी रजामन्दी व खुशी से गठन व स्थापना के बाबत यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और समक्ष गवाहान हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

आवेदन सं०: 202500879004584

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 28 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान के द्वारा अभय प्रताप सिंह, पुत्र श्री युगराज सिंह

निवासी: नई बाजार खागा परगना हथगाम तहसील खागा जिला फतेहपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री इन्द्रपाल सिंह, पुत्र श्री शिवलाल सिंह

निवासी: ब्राम्हण टोला खागा परगना हथगाम तहसील खागा जिला फतेहपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री प्रकाश अवस्थी, पुत्र श्री प्रेम शंकर अवस्थी

निवासी: दर्जिन टोला खागा जिला फतेहपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उर्वरा शक्ति .
उप निबंधक : खागा
फतेहपुर
16/05/2025

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

राहुल कुमार बौद्ध
निबंधक लिपिक फतेहपुर
16/05/2025

प्रिंट करें

गवाह 1. **इन्द्रपाल सिंह पुत्र शिवलाल सिंह** निवासी- **ब्राम्हण टोला खागा परगना हथगाम तहसील खागा जिला फतेहपुर** मो.**7007465690** आधार नं.**XXXX8380**

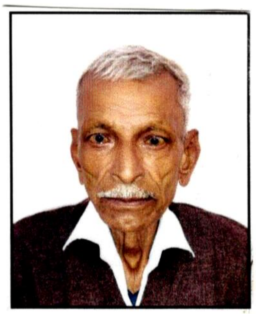

गवाह 2. **प्रकाश अवस्थी पुत्र प्रेम शंकर अवस्थी** निवासी- **दर्जिन टोला खागा जिला फतेहपुर मो.8576917074 आधार नं.XXXX8113**

दिनांक -16/05/2025

<u>मसविदाकर्ता</u>
प्रकाश अवस्थी (एडवोकेट)
रजि. नं. 05914/2007
तहसील खागा फतेहपुर

आवेदन सं०: 202500879004584

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 24 के पृष्ठ 331 से 362 तक क्रमांक 28 पर दिनाँक 16/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उर्वरा शक्ति .
उप निबंधक : खागा
फतेहपुर
16/05/2025

प्रिंट करें

भारत सरकार
Government of India

Download Date: 23/07/2020

अभय प्रताप सिंह
Abhay Pratap Singh
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1972
पुरुष/ MALE

Issue Date: 17/07/2020

6136 2392 9822

VID : 9152 7770 5264 1708

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: युगराज सिंह, नई बाजार दक्षिणी वार्ड न.12,
खागा, फतेहपुर,
उत्तर प्रदेश - 212655

Address:
S/O: Yugraj Singh, nai bazar dakshini word no.12, Khaga, Fatehpur,
Uttar Pradesh - 212655

6136 2392 9822

VID : 9152 7770 5264 1708

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/10046/03580

15/10/2013

To
इन्द्र पाल सिंह
INDRA PAL SINGH
BRAHMAN TOLA
Khaga
Khaga
Khaga Fatehpur
Uttar Pradesh 212655

63164786

MN631647860FT

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8743 5721 8380

आधार - आम आदमी का अधिकार

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

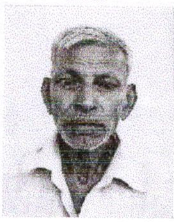

इन्द्र पाल सिंह
INDRA PAL SINGH
पिता : शिव लाल सिंह
Father : SHIV LAL SINGH
जन्म तिथि / DOB : 08/07/1955
पुरुष / Male

8743 5721 8380

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 2020/92134/02176

Download Date: 02/06/2021

To
प्रकाश अवस्थी
Prakash Awasthi
S/O: Prem Shanker Awasthi
ward 10 DARJIN tola
Khaga
Khaga
Fatehpur Uttar Pradesh - 212655
8576917074

Issue Date: 22/03/2015

Validity unknown
Digitally signed by DS UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA 05
Date: 2021.06.02 14:36:30 IST

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8444 2619 8113

VID : 9114 9812 3193 2893

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- **Aadhaar** is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है ।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है ।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, **mAadhaar App** के साथ।

- **Aadhaar** is valid throughout the country.
- **Aadhaar** helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in **Aadhaar**.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use **mAadhaar App**.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Download Date: 02/06/2021

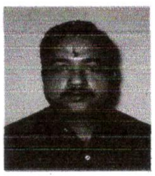

प्रकाश अवस्थी
Prakash Awasthi
जन्म तिथि/DOB: 20/01/1983
पुरुष/ MALE

Issue Date: 22/03/2015

8444 2619 8113

VID : 9114 9812 3193 2893

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
आत्मज: प्रेम शंकर अवस्थी, वॉर्ड 10 दर्जिन टोला, खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश - 212655

Address:
S/O: Prem Shanker Awasthi, ward 10 DARJIN tola, Khaga, Fatehpur, Uttar Pradesh - 212655

8444 2619 8113

VID : 9114 9812 3193 2893

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in